अनवान राजविन्द्र सिंह बनाम जानकी देवी व अन्य
वाद पत्र संख्या 023/2019

04.08.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी तथ्यों को दोहराते हुये कथन किये कि प्रार्थी/वादी द्वारा एक वाद धारा 188, 88, 92 ए, 209 आरटी एक्ट का श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है। वर्तमान आराजी जो जमाबंदी में दर्ज है उसका उल्लेख किया गया है परन्तु पूर्व में जो पुरानी जमाबंदी के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा चन्द्रभान, श्याम दास, हरीचन्द पिसरान बसंदाराम जातियान अरोड़ा निवासीगण– अबोहर (पंजाब) वाके चक 2 बी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा न. 15 पुराना की 12 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि जो बैयनामा के अनुसार 15.06.1964 को प्रार्थी के दादा धारा सिंह पुत्र गहना सिंह जाति रायसिख निवासी– 2 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को बेचान की गई थी परन्तु वर्तमान में यह मुरब्बा नं. 21 नई जमाबंदी के अनुसार हो गया है इसी प्रकार मुरब्बा नं. 19 पुराना बैयनामा के अनुसार जो वर्तमान में मुरब्बा नं. 17 जमाबंदी के अनुसार है जिसमें 4 बीघा कृषि भूमि है इसलिए वाद पत्र में जहां वाद पत्र की चरण संख्या 2 में नई जमाबंदी का उल्लेख किया गया है उसमें बैयनामें के अनुसार मुरब्बा नं. 15 व 19 के स्थान पर मुरब्बा नं. 17 व मुरब्बा नं. 21 संशोधित करते हुए वादी की मुरब्बा नं. 21 में किला नं. 1 ता 10 की 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि कब्जा काश्त में है जिसमें किला नं. 1 ता 5, 6 की 10 बिस्वा 7, 8, 9, 10 सालम वादी के कब्जा काश्त में है और उक्त भूमि खाता विभाजन होने के कारण जमाबंदी में संशोधन हो गया है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में उक्त संशोधन करते हुए उक्त संशोधन उल्लेखित किया जावे इस संशोधन से वाद की प्रवृति में कोई में परिवर्तन नही आता है केवल मात्र पुरानी जमाबंदी व नई जमाबंदी में मुरब्बा नम्बर परिवर्तन होने के कारण यह संशोधन पेश किया जा रहा है इस संशोधन से माननीय न्यायालय को न्याय करने में मदद मिलेगी। वादी द्वारा वाद पत्र के अन्त में जो डिक्री चाहा है उसी प्रकार परिवर्तन डिक्री में किया जावे कि मुरब्बा नं. 15 व 19 के स्थान पर मुरब्बा नं. 17 व मुरब्बा नं. 21 संशोधित करते हुए मुरब्बा नं. 21 की भूमि किला नं. 1 ता 10 की 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी के कब्जा काश्त में है संशोधित किया जावे। इसी अनुसार बैयनामा में वर्णित कृषि भूमि जो ऊपर उल्लेख किया गया है के अनुसार डिक्री जारी की जावे। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वाद पत्र के पैरा संख्या 05 अन्त में जोड़ने का आदेश फरमाया जावें और संशोधन स्वीकार फरमाया [illegible] प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल मौका चक 2 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:26:34 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्तागण की बहस सुनी [illegible] का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि पूर्व में जो मुरब्बा नं0 15 था वह 17 एवं मुरब्बा नं0 19 था वह वर्तमान में 21 हो गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता वादी संशोधित वाद प्रस्तुत करे। पत्रावली वास्ते संशोधित वाद पत्र हेतु दिनांक 11.08.2025 को पेश हो।